

प्रेस-विज्ञप्तिथाना जहानागंजहत्या का एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वादिनी श्रीमती रेनु देवी पत्नी त्रिभुवन राम सा 0 दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी जिसमें अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर ललकारते हुए माँ बहन की गाली देते हुए लाठी, डण्डा, राड तथा चाँकू मारने पीटने लगे मना करने पर और उग्र होकर मारने पीटने लगे जिससे वादिनी के पति त्रिभुवन राम व दिनानाथ, भीमराम, नगीना राम पुत्र 0 गण नरायण राम काफी चोट आयी है जिनको इलाज हेतु पीजीआई चक्रपानपुर ले जाते समय रास्ते में मेरे वादिनी के पति त्रिभुवन राम की मृत्यु हो गई। वादिनी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/148/149/323/324/504/506/352/34/302 भादवि विरुद्ध 1- फिरतू राम पुत्र सिल्लू राम 2- जियालाल पुत्र सुभम्गा राम 3-दिनेश पुत्र सेचन 4-अनीश राम पुत्र राजदेव राम 5-सुनील पुत्र जियालाल 6-नीरज पुत्र रमेश राम 7-चन्दन पुत्र समुझ 8-चैयतू पुत्र कान्ता राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 03.03.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/148/149/323/324/504/506/352/34/302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र रामसमुझ राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़ को ब्लाक तिराहा से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में आलाकत्ल बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 42/21 धारा 147/ 148/ 149/ 323/ 504/ 506/ 324/ 352/ 34/302 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:-

चन्दन कुमार पुत्र रामसमुझ राम ग्राम दौलताबाद थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0 संदीप यादव
2. का0पंकज यादव
3. म0का0 दिव्या यादव

थाना बिलरियागंजहत्या के प्रयास के 02 बाल अपचारीगण गिरफ्तार

दिनांक 01.03.2021 को श्री अवनीश राय पुत्र रवीन्द्र राय ग्राम पटबध सुधाकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 01.03.2021 को समय करीब 8.00 बजे प्रातः ग्राम सभा में पूर्व में खोदी गयी पोखरी का मैं निरीक्षण कर था। उसी वक्त हमारे ही ग्राम सभा के दिपांश राय पुत्र दिनेश राय, अर्पित राय, अंकित राय पुत्रगण अरविन्द राय, आयुष राय पुत्र संजय राय, अरविन्द राय, प्रविण राय पुत्रगण केदार राय, राजेश राय पुत्र रमाशंकर, प्रशान्त राय पुत्र राजेश राय, केदार राय पुत्र सीताराम राय एक राय होकर अन्य दर्जनो समर्थको के साथ लाठी, डण्डा, अवैध असलहा कट्टे से लैस

होकर आचानक से हमला कर दिया जिसमें अर्पित राय,दिपांश राय,अंकित राय कट्टे से गोली चलाने लगे। जिसमें गोली लगने से रवीन्द्र राय पुत्र रामपटल राय,राजेन्द्र राय पुत्र सतिराम राय,कु0 खुसी राय पुत्री प्रविण कुमार राय,वैभव राय पुत्र बृजेश राय,कालीन्दी देवी पत्नि रवीन्द्र राय घायल हो गये। प्रविण राय पुत्र विद्यासागर,अवनीश राय पुत्र रवीन्द्र राय इन लोगो के हमले से बुरी तरह से घायल हो गये हैं। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/2021 धारा 147/148/149/323/307/504/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व व थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह के निकट पर्वेक्षण में उ0नि0 ओमप्रकाश यादव-द्वितीय मय फोर्स के तलाश वांछित अभियुक्त के तहत मय फोर्स के दिनांक 03.03.2021 को समय 09.40 बजे पटबध बैंक के पास से बालअपचारी गण (1) दीपांश राय पुत्र दिनेश राय सा0 पटबध सुधाकर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ (2) आयुष राय पुत्र संजय राय मूल निवास अपडड़िया हरीपरा थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम पटबध सुधाकर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार बाल अपचारीगण-

1. दीपांश राय पुत्र दिनेश राय सा0 पटबध सुधाकर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
2. आयुष राय पुत्र संजय राय मूल निवास अपडड़िया हरीपरा थाना दोहरीघाट, जनपद मऊ हाल मुकाम ग्राम पटबध सुधाकर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 31/2021 धारा 147/148/149/323/307/504/506 भादवि

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली गठित टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव-द्वितीय थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. का0 रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
3. का0 विनय यादव थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4. का0 रविप्रभाकर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

थाना- गम्भीरपुर

नाबालिग को भगाने वाला अपचारी किशोर गिरफ्तार, अपहृता बरामद

गम्भीरपुर थाना क्षेत्र के वादी ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी की मेरी पुत्री को दिनांक 26.12.2020 को सुबह सचिन गौड़ पुत्र सतीश गौड़ नि0 भुईली थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर ने बहला फुसला कर शादी करने के नियत से भगाकर ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 363,366 भादवि बनाम सचिन गौड़ पुत्र सतीश गौड़ नि 0 भुईली थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्र0नि0 श्रीमती ज्ञानू प्रिया के नेतृत्व में, उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय के थाना हाजा से प्रस्थान कर क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 04/2021 धारा 363,366 भादवि से सम्बन्धित अपचारी किशोर सचिन गौड़ पुत्र सतीश गौड़ नि 0 भुईली थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर के पास से अपहृता को बरामद करते हुए समय 11.30 बजे हरिश्चन्द्रपुर गेट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 04/2021 धारा 363,366,376 भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार अपचारी -

अपचारी किशोर सचिन गौड़ पुत्र सतीश गौड़ नि0 भुईली थाना गौराबादशाहपुर जिला जौनपुर

बरामदगी-

अपहृता बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह का0 रघुबीर यादव व म0का0 सविता पटेल

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

24 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की